बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्र संख्या- 12/गुक0–10/2026 - 441 पटना, दिनांक 10.3.26

श्री अभिषेक कुमार, संवेदक द्वारा दायर वाद CWJC No-1623/2026 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–03.02.2026 को पारित Oral Order के आलोक में वादी एजेंसी द्वारा किये गये अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–24.02.2026 के सुनवाई के संबंध में।

24.02.2026

आदेश

संवेदक श्री अभिषेक कुमार संवेदक, रिंग बाँध वार्ड संख्या--17 सीतामढ़ी–843302 एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी सुनवाई में उपस्थित।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत संवेदक, श्री अभिषेक कुमार को सीतामढ़ी अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना के तहत एकरारनामा संख्या–F2-28/2018-19 के तहत सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बथनाहा पश्चिमी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य आवंटित किया गया। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के पत्रांक–1868 दिनांक–14.07.2025, पत्रांक–3043 दिनांक–12.11.2025 एवं पत्रांक--3299 दिनांक–11.12.2025 के द्वारा माह सितम्बर, 2025 तक अद्यतन विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान करने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदक को डिबार करने एवं अन्य कार्रवाई के संबंध में चेतावनी दी गई। उक्त के बावजूद संवेदक द्वारा बकाया विद्युत विपत्र का भुगतान में अभिरूची नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के कार्यालय आदेश संख्या–156, दि0--24.12.2025 के द्वारा डिबार करते हुए अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध वादी श्री अभिषेक कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1623/2026 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–03.02.26 को Oral Order पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

Considering the facts and circumstances of the case, the petitioner is directed to file a fresh representation before respondent No. 3.

In the event such representation is filed, respondent No. 3 shall consider the same and pass a reasoned and speaking order, in accordance with law after giving an opportunity of hearing to all the stakeholders preferably within a period of two weeks from the date of filing of such representation.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–03.02.2026 को पारित अंतरिम आदेश में वादी सं0–03 अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव को सुनवाई कर Speaking Order पारित करने हेतु आदेश पारित किया गया है। विभागीय कार्यालय आदेश सं0–970, दि0–18.06.2021 के द्वारा Debarment मुक्ति पर निर्णय लेने हेतु सचिव सक्षम प्राधिकार है।

उक्त पारित आलोक में वादी श्री अभिषेक कुमार के पत्रांक–शून्य, दिनांक–10.02.2026 के द्वारा डिबार मुक्त करने हेतु अपील दायर किया गया। उक्त के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनवाई की गई जिसमें संवेदक श्री अभिषेक कुमार द्वारा बताया गया की उनके द्वारा कराये गये अनुरक्षण तथा मरम्मति मद में O&M का भुगतान लंबित रहने के कारण विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया गया है। साथ हीं कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि लंबित विद्युत विपत्र में कुछ राशि का भुगतान किया गया है । कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा इस संबंध में बताया गया कि संवेदक का अनुरक्षण तथा मरम्मति मद में लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु अधियाचना तैयार किया गया है। राशि आवंटित होने पर संवेदक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करा दी जायेगी।

अतः माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में एवं उभयपक्षों के सुनने के पश्चात कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के कार्यालय आदेश संख्या–156–सह–पठित ज्ञापांक–3384 दिनांक–24.12.2025 द्वारा संवेदक श्री अभिषेक कुमार (सूचीबद्धता संख्या–201120241084/2018) को निविदा में भाग लेने से डिबार करने संबंधी आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त (Set Aside) किया जाता है ।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक–12/मुक0–10/2026–441 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 18/03/26
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / मुक0–10 / 2026– 441 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 18/03/26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12 / मुक0–10 / 2026– 441 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी/ श्री अभिषेक कुमार, रिंग बाँध, वार्ड संख्या–17, सीतामढ़ी Pin-843302को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 18/03/26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / मुक0–10 / 2026– 441 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभय 18/03/26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)